

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2021/51/2021

दिनांक: 07.07.2021

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषय: पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनयान


1. कजोड़ पिता हजारी जाति तेली निवासी विगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. देबीलाल पिता कल्याण जाति तेली निवासी विगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. पानी पुत्री कल्याण जाति तेली निवासी विगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. भगवानलाल पिता कल्याण जाति तेली निवासी विगोद तहसील माण्डलगढ़।
- 5.

बनाम

1. ईसब पिता करीमबक्ष जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. भूरालाल पिता काशी जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. अब्दूल रहमान पिता करीमबक्ष जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. अब्दूलगनी पिता इस्मइल जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की सरहद में स्थित खाता संख्या 491 की आराजी संख्या 1424,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1435,1437,1438,1439 कुल किता 13 रकबा 2.7033 बीघा भूमि की बशामलात् पडौंसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़